राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.18(1)नविवि/प.ई.नी/2015 जयपुर, दिनांकः 5.3.18

संशोधन आदेश

पूर्व में पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान पर्यटन इकाई नीति–2015 जारी की गयी थी। जिसकी अनुपालना में विभाग द्वारा 6 जून, 2015 को आदेश जारी किया गया था। मंत्रीमण्डल आज्ञा 03/2018 के तहत् दिनांक 23.01.2018 को पर्यटन इकाई नीति 2015 में संशोधन किये है, जिसकी अनुपालना में उपरोक्त विभागीय आदेश कमांक प.18(1)नविवि/प.ई.नी./2015 दिनांक 06.06.2015 में निम्नांकित संशोधन किया जाता हैः–

1. **होटल एवं पर्यटन इकाई हेतु भूमि आवंटन उपरोक्त शीर्षक में बिन्दु संख्या 1 (स) के नीचे निम्नांकित प्रावधान किये गये थेः–**
   - पर्यटन इकाई हेतु आवंटन की दर उस क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी दर होगी।

इसे निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

- पर्यटन इकाई हेतु शहरी क्षेत्रों में आवंटन की दर आवासीय उद्देश्य हेतु निर्धारित डीएलसी दर होगी।

नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 06.06.2015 का द्वितीय निम्न प्रकार हैः–

पर्यटन इकाई हेतु आवंटन तुलनात्मक निविदा के आधार पर पर्यटन इकाई नीति–2015 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जावें।

उक्त बिन्दु के संबंध में पर्यटन इकाई नीति–2015 के बिन्दु संख्या 3(Vi) में नया परन्तुक जोड़ा गया है जिसके अनुरूप उक्त प्रावधान में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता हैः–

निम्नांकित पर्यटन इकाई में आवंटन बिना तुलनात्मक निविदा प्रक्रिया के आवासीय डी.एल.सी. दर पर किया जावेंगाः–

1. राजस्थान पर्यटन इकाई नीति–2007 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा राजकीय भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई प्रोजेक्ट्स।
2. रिसर्जेन्ट राजस्थान–2015 के तत्वाधान में पर्यटन इकाई प्रोजेक्ट्स हेतु हस्ताक्षर किये गये एम.ओ.यू. जिनमें राजकीय भूमि का आवंटन निहित हो।
3. बशर्ते ऐसे प्रकरण जहां पर एक ही भूमि या उसके भाग पर भूमि आवंटन हेतु एक से अधिक प्रोजेक्ट्स अनुमोदित या एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये गये है, उसमें आवंटन की प्राथमिकता उन प्रोजेक्ट्स को दी जावेगी, जहां पर प्रोजेक्ट के भाग की कुछ सटी हुई भूमि उसी प्रोजेक्ट के स्वामी के पास पहले से ही उपलब्ध हो, जहां पर उक्त अधिमान्य व्यवहार के लिये एक से अधिक प्रोजेक्ट्स है, वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए तुलनात्मक निविदा होगी और जहां पर ऐसे प्रकरण नहीं है, वहां पर अनुमोदित समस्त प्रोजेक्ट्स के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक निविदा होगी।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

5/3/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
(2) निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
(3) निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
(4) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
(5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
(6) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
(7) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
(8) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, न.वि.वि.।
(9) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/ अजमेर विकास प्राधिकरण।
(10) सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
(11) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(12) सलाहाकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(13) मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
(14) वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
(15) सलाहाकार (विधि), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(16) प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, जयपुर।
(17) निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
(18) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
(19) रक्षित पत्रावली।

5/3/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम